


आदेश क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
<u>19.05.17</u>	<u>न्यायालय अपर समाहत्ता, खूँटी</u>	
	1. दाखिल-खारिज रिवीजन वाद संख्या-43R15/04-05 डी०सी०टी०आर० नं०-22R15/08-09	
	त्रिवेणी महतो अपीलकर्ता बनाम आनन्द सिंह बडाईक वगैरह विपक्षी	
	2. दाखिल-खारिज रिवीजन वाद संख्या-47R15/04-05 डी०सी०टी०आर० नं०-24R15/08-09	
	मुनीलाल साहु वगैरह अपीलकर्ता बनाम आनन्द सिंह बडाईक वगैरह विपक्षी	
	3. दाखिल-खारिज रिवीजन वाद संख्या-49R15/04-05 डी०सी०टी०आर० नं०-25R15/08-09	
	महावीर महतो अपीलकर्ता बनाम आनन्द सिंह बडाईक वगैरह विपक्षी	
	4. दाखिल-खारिज रिवीजन वाद संख्या-50R15/04-05 डी०सी०टी०आर० नं०-27R15/08-09	
	कैलाश महतो वगैरह अपीलकर्ता बनाम आनन्द सिंह बडाईक वगैरह विपक्षी	
	5. दाखिल-खारिज रिवीजन वाद संख्या-54R15/04-05 डी०सी०टी०आर० नं०-28R15/08-09	
	श्रीमति मुनिया देवी अपीलकर्ता बनाम आनन्द सिंह बडाईक वगैरह विपक्षी	

आदेश क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
	<p style="text-align: center;">6. दाखिल—खारिज रिवीजन वाद संख्या—57R15/04-05 ठी०सी०टी०आ० नं०—30R15/08-09</p> <p style="text-align: center;">भुनेश्वर साहुअपीलकर्ता बनाम आनन्द सिंह बडाईक वर्गीरह विपक्षी</p> <p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>उपरोक्त अपील आवेदन अपीलकर्ता (1) त्रिवेणी महतो पिता नान्हक महतो साकिन करा थाना करा (2) मुनीलाल साहु पे० बेचु साहु साकिन लकेन करा थाना करा (3) रामकेश्वर महतो पिता स्व० हिंशमन महतो साकिन करा (4) श्रीमति जानकी देवी जौजे श्री लालदेव महतो साकिन बमरज्जा करा (5) धनपत लाल कुण्डू पे० स्व० किशोरी लाल कुण्डू साकिन करा (6) महावीर महतो पिता स्व० रघुनाथ महतो (7) मनबोध महतो पिता स्व० कन्दरु महतो (8) प्रमोद महतो पिता स्व० जगतमन महतो (9) चूनीलाल महतो (10) बजीत महतो (11) अरविन्द महतो, पिता स्व० सितु महतो ग्राम करा थाना करा (12) कैलास महतो (13) प्रकाश महतो (14) कृष्णा महतो पिता गणेश महतो (15) सीताराम महतो पिता इन्द्रा महतो ग्राम करा थाना करा (16) श्रीमति मुनिया देवी पति दुर्गाचरण कुण्डू (17) लखन साहु पिता गुलाब साहु (18) विनोद प्रसाद पिता स्व० बैजु प्रसाद पति श्रीमति कुन्ती देवी (19) श्रीमति रेखा पुष्पा तोपनो पुत्री जोवाकिम गुहिया (20) मीनकाशी गौङ्गु पिता स्व० महेश गौङ्गु (21) भूपाल बडाईक, पिता—स्व० जयनाथ सिंह, पति माना देवी (22) सुबोध प्रसाद पति मुनी देवी (23) जसवन्त तिकू पिता जयमसीह तिकू ग्राम करा थाना करा (24) भुनेश्वर साहु पिता स्व० जलेश्वर साहु ग्राम लोकेल थाना करा सभी जिला रोडी वर्तमान जिला खूंटी द्वारा भूमि सुधार उप—समाहर्ता, खूंटी के द्वारा दिनांक 10.05.03 को दाखिल—खारिज अपीलवाद संख्या 06/2001-02 में पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है तथा सभी के द्वारा विलम्ब के लिए समयक्षाति आवेदन पत्र दाखिल किया गया है। उपरोक्त छ. वादों को दाखिल कर उभय पक्षों को सूचना निर्गत कर, निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई तामिल प्रतिवेदन तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>उभय पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा विस्तार पूर्वक बहस किया गया है। वाद संख्या 43R15/04-05 के अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि निम्न न्यायालय द्वारा परित आदेश न्याय संगत नहीं है। विपक्षी का विवादित जमीन पर कभी भी दखल—कब्जा नहीं रहा है विवादित जमीन खतियानी रेयत</p>	

आदेश क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
	<p>झुनी बड़ाईक की मौ बदन बड़ाईकिन से 1954 में खरीदगी के बाद शातिपूर्वक दखलकार है। जमीनदारी की समाप्ति के पश्चात बिहार सरकार को मालगुजारी दिया गया तथा अब झारखण्ड सरकार को मालगुजारी दिया जा रहा है तथा अपीलकर्ता के पिता के नाम जमाबन्दी कायम है। अंचल अधिकारी के पंजी—॥ मैं भी अपीलकर्ता के पिता का नाम दर्ज है विपक्षी द्वारा अंचल अधिकारी, कर्ता के न्यायालय में दायर किया गया वाद संख्या—1 दाखिल—खारिज नं 203/2000—01 में दिनांक 30.07.2001 को खारिज कर दिया गया। विपक्षी का विवादित जमीन पर हक, दखल व सरोकार नहीं है अतः अपील वाद को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।</p> <p>वाद संख्या 47R15/04-05 के अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि विवादित जमीन मुकुन्द सिंह बड़ाईक पिता यदुनाथ सिंह बड़ाईक से खरीदी गई है तथा अपने नाम से दाखिल—खारिज कराकर मालगुजारी अदा किया जा रहा है जमाबन्दी भी अपीलकर्ता के पिता का नाम दर्ज है निम्न न्यायालय का आदेश खारिज करने योग्य है। अपीलकर्ता का दखल कब्जा है। मुकुन्द सिंह पिता यदुनाथ सिंह तथा धनपत लाल कुण्ठ द्वारा दखल कब्जा के लिए माननीय मुशिफ खूटी के न्यायालय में T.S. No. 7/81 दायर किया गया जिसमें इनलोगो के पक्ष में आदेश पारित हुआ। तब से शातिपूर्वक दखलकार है। विपक्षी द्वारा अंचल—अधिकारी, कर्ता के न्यायालयों में वाद संख्या म्युटेशन नं 203/2000—01 दायर किया गया था, जिसको दिनांक 30.07.2001 को अस्वीकृत कर दिया गया। अतः अपीलकर्ता द्वारा अपील स्वीकृत कर निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।</p> <p>वाद संख्या 49R15/04-05 में अपीलकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता के पूर्वज रघुनाथ महतो ने वर्ष 1934 में खाता नं 40, प्लॉट नं 0 294 रकवा 70 डीसमील जमीन बदन बड़ाईकिन जो खतियानी रैयत झुनी बड़ाईक की मौ से खरीदी गई है तब से दखलकार होकर मालगुजारी अदा किया जा रहा है तथा पंजी—॥ मैं भी रघुनाथ महतो के नाम जमाबन्दी चला आ रहा है। निम्न न्यायालय का आदेश न्याय संगत नहीं है। अंचल अधिकारी, कर्ता के न्यायालय के वाद संख्या म्युटेशन नं 203/2000—01 में दिनांक 30.07.2001 को खारिज कर दिया गया। विवादित जमीन पर काफी लम्बे समय से दखलकार है। अतः अपील स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।</p> <p>वाद संख्या 50R15/04-05 के अपीलकर्ता द्वारा कहा गया कि मीजा कर्ता, खाता नं—41 प्लॉट नं 0 1069 रकवा 1.26 एकड़ जमीन के खतियानी रैयत झुनी बड़ाईक पिता चुरन बड़ाईक के नावलद मृत्यु के पश्चात उनके माता बदन बड़ाईकिन दखल में आयी। विवादित जमीन बदन बड़ाईकिन द्वारा सितु बड़ाईक पिता फिर बड़ाईक को हस्तातिरित कर दिया गया। शम्भु महतो ने विवादित जमीन सितु बड़ाईक से दिनांक 24.09.1965 में रजिस्ट्री पट्टा द्वारा खरीद की तत्पश्चात अंचल अधिकारी, कर्ता के न्यायालय में म्यूटेशन तथा पंजी—॥ मैं नाम दर्ज</p>	

आदेश क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
	<p>कराकर मालगुजारी अदा करते आ रहे हैं। शंभु महतो के चार पुत्र (1) केदार महतो (2) रामकेश्वर महतो (3) दुर्गा महतो (4) जगदीश महतो उक्त विवादित जमीन पर दखलकार हुए। अतः अपील स्वीकृत कर निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।</p> <p>बाद संख्या 54R15/04-05 के अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि साकिन कर्ता जिला रांची वर्तमान जिला खूटी के खाता न० 40 तथा 41 झुकी बड़ाईक के खातियान में दर्ज है जिसकी मृत्यु नावल्द हो गई उसके बाद उनकी मौं बदन बड़ाईकिन विवादित जमीन पर दखलकार हुई। बदन बड़ाईकिन खूटी-बारी नहीं कर सकती थी अतः खाता न० 40 एवं 41 की जमीन को विभिन्न व्यक्तियों को बेच दी जिसमें सिंह साकिन कर्ता थाना, कर्ता भी है। सिंह सिंह खरीदगी के बाद दखलकार हुए तथा अपने नाम से नामान्तरण कराकर पंजी—॥ के नाम दर्ज करवाए। उसके बाद लहरु सिंह का नाम से नामान्तरण हुआ जिसकी मृत्यु नावल्द हो गयी। उनकी विधवा का पुन विवाह ग्राम पलमा थाना इटकी जिला रांची में हुई। विपक्षी का कभी भी इस विवादित जमीन पर दखल-कब्जा नहीं रहा है। विपक्षी द्वारा दावा किया जा रहा है कि उनके नाम से नामान्तरण हुआ है वास्तव में अंचल अधिकारी, कर्ता के न्यायालय में बाद संख्या 203/2000-01 दायर किया गया जो कर्मचारी के प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 30.01.2000 को खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात् भूमि सुधार उप-समाहत्ता के न्यायालय में दाखिल-खारिज बाद संख्या 6/2001-02 दायर किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा वास्तविकता को जाने वगैर पंजी—॥ सुधार करने हेतु आदेश पारित कर दिया गया। निम्न न्यायालय का आदेश न्याय संगत नहीं है विपक्षी लहरु सिंह बड़ाईक साकिन कर्ता, थाना कर्ता का पुत्र है इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है उनकी मृत्यु नावल्द हो गई तथा उनकी विधवा का पुन विवाह हुआ। विपक्षी के दखल-कब्जा से संबंधित भी कोई प्रमाण नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय पटना तथा झारखण्ड द्वारा आदेश पारित किया गया है कि पंजी—॥ मैं सुधार का अधिकार व्यवहार न्यायालय को है। अतः अपील स्वीकृत कर निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।</p> <p>बाद संख्या 57R15/04-05 के अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि यह अपील आवेदन म्यूटेशन अपील न० 6/2001-02 में भूमि सुधार उप-समाहत्ता द्वारा दिनांक 10.05.03 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। विवादित जमीन मौजा कर्ता खाता न०-40 प्लॉट न०-691 रकवा 6 डीसमील जमीन सुरज साहु पै० स्व० रामवृत साहु से तथा सुरज साहु ने उक्त जमीन सन 1951 ई० में सुशीला कुवर से खरीद की गई थी। सुशीला कुवर ने उक्त जमीन बदन बड़ाईकिन द्वारा खरीदा गया था। जो खतियानघारी की मौं है। बदन बड़ाईकिन ने अपने नाम से अंचल अधिकारी, कर्ता के पंजी—॥ मैं दर्ज कराकर शांतिपूर्वक दखलकार रही। निम्न न्यायालय का आदेश न्याय संगत नहीं है तथा खारिज करने योग्य है। विपक्षी विवादित जमीन पर कभी भी दखलकार नहीं रहे हैं। उक्त विवादित</p>	

आदेश क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
	<p>जमीन से संबंधित एक बाद माननीय मुशिफ के न्यायालय, खूंटी में मुकुन्द सिंह एवं धनपत लाल कुण्ड द्वारा दायर किया गया जिसका बाद संख्या T.S. Case No.-7/81 था जो मुकुन्द सिंह एवं धनपत लाल कुण्ड के पक्ष में आदेश पारित हुआ। विष्णी का विवादित जमीन में किसी प्रकार का हक, दखल-कञ्चा नहीं है। विवादित जमीन की खरीदगी के बाद अपीलकर्ता द्वारा मकान बनाकर निवास किया जा रहा है। अपीलकर्ता द्वारा अपील आवेदन स्वीकृत कर निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।</p> <p>अपीलकर्ताओं द्वारा निम्न कागजात दाखिल किया गया है—</p> <ol style="list-style-type: none"> बदन बडाईकिन एवं रघुनाथ महतो के नाम निर्गत मालगुजारी रसीद। दिनांक 08.02.1934 को निर्गत हुक्मनामा। दिनांक 10.01.1954 को त्रिवेणी महतो के नाम निर्गत बण्डा पर्चा। बदन बडाईकिन द्वारा नन्हक महतो को निर्गत हुक्मनामा। नन्हक महतो के नाम निर्गत जमीनदारी रसीद। नन्हक महतो के नाम निर्गत मालगुजारी रसीद। त्रिवेणी महतो के नाम निर्गत बण्डा पर्चा। माननीय मुशिफ के न्यायालय के बाद संख्या T.S. No.-7/81 में पारित आदेश की सच्ची प्रतिलिपि। <p>इसके विपरित विष्णी के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि भूमि सुधार उप-समाहर्ता, खूंटी के बाद संख्या म्युटेशन अपील नो 6/2001-02 में दिनांक 10.05.2003 को पारित आदेश के विरुद्ध छ: अलग-अलग अपील बाद दायर किया गया जिसे अनुरोध पर छ: बादों को एक साथ संलग्न कर सुनवाई हेतु रखा गया। उक्त अपील बाद साकिन कर्मा थाना कर्मा, जिला खूंटी के रिविजनल सर्वे खाता नं 40 तथा 41 के अलग-अलग प्लॉटों पर जिसका कुल रकवा—9.59 एकड़ है। विवादित जमीन रिविजनल सर्वे में इनी बडाईक पिता चतुरमान बडाईक के नाम से दर्ज हुआ। इनी बडाईक के मृत्यु पश्चात् उनकी माता श्रीमति बदन बडाईकिन उक्त जमीन पर दखलकार हुई। मोसमात बदन के देखभाल उनके भतीजे लहरु सिंह बडाईक के द्वारा की गई। श्री लहरु सिंह बडाईक को रजिस्टर्ड डील द्वारा दिनांक 01.03.1943 को विवादित जमीन बिक्री कर दिया गया तब से लगातार दखल-कञ्चा में है। लहरु सिंह बडाईक के मृत्यु पश्चात् उनका पुत्र आनन्द सिंह अपने पुत्र एवं पुत्री के नाम से उत्तराधिकारी दाखिल-खारिज 203/2000-01 दायर किया गया जिसे अंचल अधिकारी द्वारा दिनांक 30.07.01 को खारिज कर दिया गया। इस आदेश के विरुद्ध विष्णीयों द्वारा भूमि सुधार उप-समाहर्ता के न्यायालय में अपील दायर किया गया। अपीलकर्ताओं द्वारा विभिन्न प्लॉटों को श्रीमति बदन से मुकुन्द सिंह बडाईक से तथा सुरज साहु से खरीदी गई। बदन बडाईकिन द्वारा एक इंच जमीन भी अपीलकर्ताओं</p>	

आदेश क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
	<p>को नहीं बेचा गया है। सभी कागजात बनावटी है। अतः अपील अस्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है साथ में दिनांक 01.03.43 को लहरु सिंह बड़ाईक द्वारा विक्री किया गया पट्टा मूल में दाखिल किया गया है।</p> <p>उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया बहस सुनने, दाखिल अपील आवेदन, निम्न न्यायालय के अवलोकन, दाखिल कागजातों तथा लिखित बहस के अवलोकन के पश्चात् यह न्यायालय इस निश्कर्ष पर पहुँचता है कि उपरोक्त खाता की सभी प्लॉटों का जिसका कुल रकवा 9.59 एकड़ है। अंचल अधिकारी, कर्ता द्वारा दाखिल-खारिज वाद संख्या 203/2000-01 में दिनांक 30.07.2001 को आदेश निर्गत किया गया कि आनन्द सिंह बड़ाईक एवं कलावती देवी या इनके परिवार कर्ता थाना अन्तर्गत नहीं रहते हैं तथा इनका विवादित जमीन पर दखल कब्जा भी नहीं है जिसके आधार पर अंचल अधिकारी, कर्ता द्वारा आनन्द सिंह बड़ाईक एवं कलावती देवी का आवेदन पत्र खारिज किया गया। विपक्षीगण कभी भी जमीन पर दखलकार नहीं हुए साथ ही अंचल अधिकारी, कर्ता के पंजी ॥ में बदन बड़ाईकिन का नाम दर्ज कराकर शातिपूर्वक दखलकार चले आ रहे हैं। आवेदकगण द्वारा विभिन्न तिथियों में जमीन अलग-अलग नाम से खरीदगी पट्टा द्वारा क्रय किया गया है। विपक्षी गण का दावा है कि वे दिनांक 01.03.1943 को विक्री पट्टा द्वारा क्रय किया गया है, परन्तु आवेदक द्वारा वर्ष 2000-01 में दाखिल खारिज करने हेतु अंचल कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे दखल कब्जा नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिया गया।</p> <p>अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, कर्ता द्वारा नियमानुसार आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं होगा।</p> <p>अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा परित आदेश को निरस्त किया जाता है।</p> <p>उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को एवं निम्न न्यायालय को सूचित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>अपर समाहता, खूंटी</p>  <p>अपर समाहता, खूंटी</p>  <p>अपर समाहता, खूंटी</p>	